HINDUSTAN TIMES, Delhi, 24.1.2024
Page No. 19, Size:(5.89)cms X (8.27)cms.

NHRC discusses the Protection of Tribal India

The National Human Rights Commission, India organised an Open House Discussion on "Protection of Nomadic, Semi Nomadic and De-Notified Tribes (NTs, SNTs and DNTs) in India and forward trajectory", on Jan 19 at its premises. The NHRC, India Member, Dr Dnyaneshwar M Mulay inaugurated the discussion in the presence of several eminent dignitaries. Dr Mulay said that the right to life, equality, dignity and liberty are the four major pillars of human rights and every citizen deserves to exercise them.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 24.1.2024
Page No. 8, Size:(7.20)cms X (6.15)cms.

गुजरात के गांव में मुस्लिमों की सार्वजनिक पिटाई पर पुलिस को पड़ी फटकार

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा जिले के एक गांव में मुस्लिम समुदाय के पांच लोगों की सार्वजनिक रूप से पिटाई के मामले में गुजरात पुलिस से नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस को खंभों से बांधने और उनकी पिटाई करने का अधिकार कहां से मिला।

जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच गुजरात हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ चार पुलिस कर्मियों-इंस्पेक्टर एवी परमार, सब-इंस्पेक्टर डीबी कुमावत, हेड कांस्टेबल केएल दाभी और कांस्टेबल आरआर दाभी की अपील पर सुनवाई कर रही है। संदिग्धों को हिरासत में लेने और उनसे पूछताछ करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना मामले में उन्हें 14 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान तल्ख लहजे में कहा-क्या आपके

■ अदालत की अवमानना के जुर्म में 14 दिन की सजा सुनाई है गुजरात हाई कोर्ट ने

■ चारों पुलिसकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है अपील

पास कानून के तहत लोगों को खंभे से बांधने और उनकी पिटाई करने का अधिकार है? जाइए, हिरासत का आनंद उठाइए। जस्टिस मेहता ने भी अधिकारियों से नाखुशी जताते हुए कहा कि यह किस तरह का अत्याचार है। लोगों को खंभे से बांधना, उन्हें सार्वजनिक रूप से पीटना और वीडियो लेना। फिर आप चाहते हैं कि यह अदालत हस्तक्षेप करे।

अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि वे पहले से ही आपराधिक मुकदमे, विभागीय कार्यवाही और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की जांच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां प्रश्न है कि क्या हाई कोर्ट के पास अवमानना कार्यवाही में उनके खिलाफ सुनवाई का अधिकार है? दवे ने कहा कि डीके बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले के संदर्भ में उनके खिलाफ जानबूझकर अवज्ञा करने का कोई अपराध नहीं बनाया गया था, जहां उसने गिरफ्तारी और संदिग्धों की हिरासत और पूछताछ के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। उन्होंने दलील दी कि इस समय प्रश्न इन अधिकारियों के दोष का नहीं बल्कि हाई कोर्ट के अवमानना मामले में अधिकार क्षेत्र का है। दवे ने कहा कि क्या इस अदालत के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा की गई? इस प्रश्न का उत्तर तलाशना होगा। क्या पुलिसकर्मियों को फैसले की जानकारी थी? जस्टिस गवई ने इस पर कहा कि कानून की जानकारी नहीं होना वैध बचाव नहीं है। उन्होंने कहा कि हर पुलिस अधिकारी को पता होना चाहिए कि डीके बसु मामले में क्या कानून निर्दिष्ट किया गया। विधि के छात्र के रूप में हम सुनवाई कर रहे हैं और डीके बसु फैसले के बारे में पढ़ रहे हैं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 24.1.2024
Page No. 10, Size:(9.34)cms X (7.81)cms.

गुजरात में मुस्लिम युवकों की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के खेड़ा जिले में मुस्लिम समुदाय के पांच लोगों की पिटाई मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात पुलिस से पूछा उन्हें लोगों को खंभों से बांधने और उनकी पिटाई करने का अधिकार कहां से मिला। मुस्लिम युवकों की पिटाई की घटना 2022 की है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ गुजरात हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ चार पुलिस कर्मियों निरीक्षक एवी परमार, उपनिरीक्षक डीबी कुमावत, हेड कांस्टेबल केएल दाभी और कांस्टेबल आरआर दाभी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। संदिग्धों को हिरासत में लेने और उनसे पूछताछ करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना मामले में उन्हें 14 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस गवई ने

कोर्ट ने पूछा, खंभों में बांधकर पिटाई करने का अधिकार कहा से मिला

जस्टिस गवई ने कहा, कानून की जानकारी नहीं होना वैध बचाव नहीं है

सुनवाई के दौरान सख्त तेवर में कहा कि क्या आपके पास कानून के तहत लोगों को खंभे से बांधने और उनकी पिटाई करने का अधिकार है? जाइए, हिरासत के मजे लीजिए। जस्टिस मेहता ने कहा कि यह किस तरह का अत्याचार है। लोगों को खंभे से बांधना, उन्हें सार्वजनिक रूप से पीटना और वीडियो बनाना। फिर आप चाहते हैं कि यह अदालत हस्तक्षेप करे। अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि वे पहले से ही आपराधिक मुकदमे, विभागीय कार्यवाही और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की जांच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां प्रश्न है कि क्या हाई कोर्ट के पास अवमानना कार्यवाही में उनके खिलाफ सुनवाई का अधिकार है? उन्होंने दलील दी कि इस समय प्रश्न इन अधिकारियों के दोष का नहीं बल्कि हाई कोर्ट के अवमानना मामले में अधिकार क्षेत्र का है। दवे ने कहा कि क्या इस अदालत के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा की गई? इस प्रश्न का उत्तर तलाशना होगा। क्या पुलिसकर्मियों को फैसले की जानकारी थी? जस्टिस गवई ने इस पर कहा कि कानून की जानकारी नहीं होना वैध बचाव नहीं है। उन्होंने कहा कि हर पुलिस अधिकारी को पता होना चाहिए कि डीके बसु मामले में क्या कानून निर्दिष्ट किया गया। विधि के छात्र के रूप में हम सुनवाई कर रहे हैं और डीके बसु फैसले के बारे में पढ़ रहे हैं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Delhi, 24.1.2024
Page No. 1, Size:(16.15)cms X (12.81)cms.

मुस्लिमों की बांधकर पिटाई: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-किसने अधिकार दिया

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के खेड़ा जिले में पुलिस द्वारा मुस्लिम समुदाय के 5 लोगों को खंबे से बांधकर सार्वजनिक रूप से पीटने पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। वर्ष 2022 की इस घटना पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस से पूछा कि आप लोगों को खंबे से बांधकर ऐसे पीटने का अधिकार कहां से मिला? जस्टिस बीआर गवई ने पूछा, क्या कानून आपको इसका अधिकार देता है...अब जाइए हवालात में। हालांकि बाद में कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने का आदेश दे दिया।

जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर एवी परमार, एसआई डीबी कुमावत, हैड कांस्टेबल केएल दाभी और कांस्टेबल आरआर दाभी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इन्हें संदिग्धों को हिरासत में लेने और पूछताछ के बारे में शीर्ष कोर्ट के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया गया था।

शेष पेज 08 पर

मुस्लिमों की ...

कोर्ट ने इन्हें 14 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस मेहता ने कहा, यह किस तरह का अत्याचार है? लोगों को खंभे से बांधना, उन्हें पीटना और वीडियो बनाना। फिर आप चाहते हैं कि यह अदालत हस्तक्षेप करे। दूसरी ओर, दोषी पुलिस अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा, वे पहले आपराधिक मुकदमे, विभागीय कार्यवाही और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच का सामना कर रहे हैं। दवे ने कहा, प्रश्न अधिकारियों के दोष का नहीं बल्कि हाई कोर्ट के अवमानना मामले में अधिकार क्षेत्र का है। जस्टिस गवई ने कहा, कानून की जानकारी नहीं होना वैध बचाव नहीं है। हर पुलिस अधिकारी को यह जानना चाहिए कि डीके बसु मामले में क्या कानून तय है।